356

1

संख्या : 774 /IV(2)-श0वि0-2016-85(सा0)14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16 मई, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पंचायत, हरबंटपुर को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 366/IV(2)-श0वि0-2015-85(सा0)14, दिनांक 24.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पंचायत, हरबंटपुर को " **वार्ड नं0 2 मौ0 आदर्श बिहार में गुरूद्वारे के पीछे वाले खाले को सीधा करना एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य**" हेतु ₹50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबंटपुर के पत्रांक- 971/अव0निधि-उपयोगिता/2015-16, दिनांक 15.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, हरबंटपुर को प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि **कुल ₹30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **कुल ₹30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, हरबंटपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
II. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
III. आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
IV. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
VI. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
VII. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
VIII. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
IX. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।
X. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

..2/-...

XI. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

XII. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

XIII. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

XIV. **नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।**

XV. पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24.03.2015 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XVI. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स सहित शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के **अनुदान सं0-13** के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-S.1605130209 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या-774(1)/IV(2)-श0वि0-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हरबटपुर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।